208

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6/नि0-10162/07 — 982

प्रेषक,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र/भागलपुर प्रक्षेत्र/पटना प्रक्षेत्र।
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित),
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार।

पटना, दिनांक- 19.3.10

विषय: बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय अधिसूचना सं0 552 दिनांक 28.05.2009 सह पठित ज्ञापांक 553 दिनांक 28.02.2009

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत ठीकेदारों के निबंधन हेतु लागू बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-2 में निहित उपलबंध के आलोक में प्रमंडलीय स्तर पर कहीं-कहीं यह प्रश्न उठा है कि श्रेणी-01 या श्रेणी-02 में निबंधित संवेदक अपने श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निविदा नहीं डाल सकते है तथा इस संबंध में कतिपय आवेदन भी मुख्यालय में प्राप्त हुआ है। श्रेणी-01 या श्रेणी-02 में निबंधित ठीकेदार को नीचे की श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का पात्रता स्वत: प्राप्त रहता है। उक्त नियमावली 2007 की कंडिका-02 में वर्णित प्रावधान के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग में भी क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह का प्रश्न उठा है तथा मामले की समीक्षा के उपरांत पथ निर्माण विभाग ने उच्च श्रेणी में निबंधित ठीकेदारों को अपने श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माना है। चूँकि बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-प्र06/नियम-03-04/02-5737(एस0) दिनांक 07.05.2007 द्वारा निर्गत हुई है एवं उक्त नियमावली लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी अधिसूचना संख्या 552 दिनांक 28.05.2009 सह-पठित ज्ञापांक 553 दिनांक 28.05.2009 के अंतर्गत लागू है।

अतएव सभी बिंदुओं पर सम्यक विचारोपरांत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत श्रेणी-01 या श्रेणी-02 के निबंधित ठीकेदार अपने श्रेणी से एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माने जायेंगे।

यह आदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(एच.सी. सिरोही) 19/3/10
प्रधान सचिव